कार्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त मध्यप्रदेश

मोतीबंगला कम्पाउण्ड़ एम.जी.रोड़, इन्दौर 452007 फोन : ऑ 2437330 फैक्स : 0731–2536229
E-mail: commissioner.ctd@mptax.mp.gov.in, store.ho@mptax.mp.gov.in,

द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त, महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर में एक शासकीय वाहन मारुती SX-4 की निलामी ''जैसी है, जहां है'' के आधार पर की जाना है। इस हेतु प्रपत्र पर मुहरबन्द निविदाएं दिनांक 27.06.2017 अपरान्ह 03:00 बजे तक इस कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। कोरे निविदा प्रपत्र कार्यालय से दिनांक 27.06.2017 अपरान्ह 01 बजे तक विस्तृत जानकारी सहित कार्यालय के स्टोर शाखा–8 से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है अथवा विभाग की वेबसाईट **http://www.mptax.mp.gov.in** पर से डाउनलोड किया जा सकता है। प्राप्त सीलबंद लिफाफे दिनांक 27.06.2017 को शाम 04:00 बजे उपायुक्त (मुख्यालय) के कक्ष में खोले जावेंगे।

उपायुक्त
वास्ते/आयुक्त वाणिज्यिक कर
मध्यप्रदेश, इन्दौर

कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश

मोतीबंगला कम्पाउण्ड़ एम.जी.रोड़, इन्दौर 452007 फोन : ऑ 2437330 फैक्स : 0731–2536229
E-mail: commissioner.ctd@mptax.mp.gov.in, store.ho@mptax.mp.gov.in,

//विक्रय की शर्तें//

(1) कार्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त की एक वाहन मारूती SX-4 की (मारूती SX-4 की बिक्री जैसी है, जहां है के आधार पर की जावेगी।) हो जाने के कारण निलाम करने हेतु भाव–पत्र आयुक्त वाणिज्यिक कर कार्यालय परिसर, एम.जी. रोड, पर दिनांक 27.06.2017 को दोपहर काल 03.00 बजे तक आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर के पते पर डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से स्टोर शाखा में प्रस्तुत करें। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

अ.क्र.	वाहन क्रमांक	विवरण	इंजिन क्रमांक	चेसिस क्रमांक	मॉडल
1	MP-02-AV-4546	मारूती SX-4	204070	2044797	2012

(2) इच्छुक क्रेता वाहन का अवलोकन कार्यालयीन दिवस में स्टोर शाखा प्रभारी के पास कार्यालय समय 11.00 बजे से सांयकाल 5.00 बजे तक ही कराया जाएगा। (व्यक्तिगत पहचान हेतु पेनकार्ड साथ हो)

(3) प्रत्येक आवेदनकर्ता को भाव–पत्र के साथ रु. 10,000/– (राशि रु. दस हजार मात्र) चैक/बैंक ड्राफ्ट के बतौर संलग्न करना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। बैंक ड्राफ्ट के अभाव में भाव–पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

(4) एक शासकीय वाहन की निविदा एवं प्रतिभूति राशि पृथक–पृथक जमा की जाना है इस हेतु प्रतिभूति राशि के लिए लिफाफा **"ए"** तथा नीलामी की राशि लिफाफा **"बी"** में पृथक–पृथक प्रस्तुत की जावे व लिफाफे पर वाहन क्रमांक जिसके लिए दर दर्शाई जा रही है स्पष्ट रूप से लिखा जाना सुनिश्चित करें। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित राशि अंकों व अक्षरों में किसी भी प्रकार की कटिंग, ओवर राईटिंग होने पर अमान्य की जावेगी।

(5) भाव–पत्र दिनांक 27.06.2017 को दोपहर 04.00 बजे कार्यालय प्रमुख के कक्ष में क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोले जाएंगे, सफल निविदाकार को निविदा मूल्य की 50 प्रतिशत राशि तत्काल जमा करनी होगी व शेष राशि एक सप्ताह की अवधि में जमा कर वाहन उठाना होगा। अन्यथा प्रतिभूति राशि राजसात कर द्वितीय अधिकतम निविदाकर्ता को प्रदाय की जाएगी। तथा ऐसी स्थिति में इसी क्रम में आगामी निविदाकर्ता को प्रदाय कर दी जाएगी।

(6) निविदा प्राप्त होने पर समझा जाएगा कि निविदाकर्ता ने निविदा देने के पूर्व वाहन जैसे की जहां है अच्छी प्रकार देखने के पश्चात् संतुष्ट होने पर ही निविदा राशि का उल्लेख किया है। इस संबंध में निविदा खोलने के पश्चात् शिकायत पत्र या पत्र व्यवहार पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(7) वाहन क्रय पश्चात् समस्त कर व अन्य क्रयों का वहन क्रेता द्वारा ही किया जाएगा।

(8) सफल निविदाकर्ता को वाहन उठाने के 15 दिवस में आर.टी.ओ. कार्यालय से शासकीय नम्बर परिवर्तन की कार्यवाही कर कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर को सूचित करना होगा। तत्पश्चात् ही धरोहर राशि वापस की जावेगी।

(9) निविदाकर्ता को तकनीकी निविदा लिफाफा के साथ यह विक्रय की शर्ते प्रपत्र यह घोषणा करते हुए की ''मुझे निविदा की समस्त शर्ते मान्य है।'' हस्ताक्षर करते हुए सलग्न करना अनिवार्य होगा।

//घोषणा–पत्र//

मुझे निविदा की समस्त शर्ते मान्य है।

हस्ताक्षर व सील

(निविदाकर्ता)

(10) नीलाम किये जा रहे शासकीय वाहन का न्यूनतम मूल्य रू. 2,98,000/– (अक्षरी रूपये दो लाख अन्ठयानवे हजार मात्र) है।

(12) किसी भी प्रकार के विवाद होने पर उसका निर्णय आयुक्त वाणिज्यिक कर कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर द्वारा किया जाएगा, जो सभी को बंधनकारक होगा।

उपायुक्त
वास्ते/आयुक्त वाणिज्यिक कर
मध्यप्रदेश, इन्दौर